



2026:AHC:53043

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 754 वर्ष 2026

श्रीमती उर्मिला देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता : साम्या लाल पांडे, विद्या कांत त्रिपाठी

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत प्रत्यर्थी संख्या 2-उप जिलाधिकारी, हंडिया, तहसील हंडिया को वाद संख्या 2627 वर्ष 2017 (कंप्यूटर वाद संख्या T20190230402627), धारा 35 (2) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत, शीघ्र निस्तारित करने हेतु निर्देशित करना है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय व्यतीत हो चुका है, किंतु इस मामले में आज तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित करते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे उपरोक्त वाद को पूर्णतः विधि के अनुसार, अत्यंत त्वरित गति से और अधिमानतः **छह माह** की अवधि के भीतर, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के निस्तारित करें, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।